कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-4066 /12-1, कोटबंगला दिनांक 24 /02/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गड़थ (दिवारीखोल) से गड़थ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.5975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0–**FP/UK/ROAD/33094/2018**

सन्दर्भ :– नोडल कार्यालय **EDS dated 04-02-2020** तथा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी का पत्रांक–124/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/चि0सौड़ दिनांक 15.05.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर लगाई गई ऑनलाइन आपत्ति का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत निराकरण आख्या परियोजना पर स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अग्रसारित की जाती है।

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	It appears from KML File that the earth cutting along proposed alignment from Diwarikhol to Garath village has already been done. Further, it is seen that the road along alternate alignment from another existing road also appears constructed. Hence, the Proposal dosen't appear to be justified. **Action to be taken-** User agncy. May submit the justification/clarification in this regard.	ग्राम पंचायत, कास्तकार एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की मांग के अनुसार उक्त मोटर मार्ग को गड़थ गांव के अन्तर्गत स्थित मोल्ती तोक जिसमें कि 20 परिवार निवास करते है, से जोड़ने की मांग की गयी है, जिसे KML फाईल में भी दर्शाया गया है। इसके साथ Alternate alignment में दिखने वाला मार्ग एक पगडन्डी (पैदल मार्ग) है जिसका निर्माण जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया था। इस पगडन्डी पर ग्रेड अधिक होने एवं मोल्ती तोक से दूरी अधिक होने के कारण इस मार्ग को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ग्रामीणों का सहमति पत्र (प्रस्ताव) Additional Information में अपलोड कर दिया गया है।
2	CA scheme for Rs. 18,22,724/- has been uploaded in additional document in Part-I but the CA scheme for RS. 22,05,490/- found uploaded in additional document in Part-II. Further, two CA scheme for Rs. 22,05,490/- and Rs 20,04,995/- found uploaded in the hard copy. **Action to be taken-** DFO. May clarify the discrepancany and may submit/upload the correct CA scheme in Form A, part-II as additional informition at para 13.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 18,22,724/- का प्राक्कलन पार्ट–I में अपलोड किया गया था, जो कि वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित से तैयार किया गया था। किन्तु पार्ट–II में रू0 22,05,490/- का प्राक्कलन अपलोड किया गया है, जो कि वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित दर से बनाया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित रू0 22,05,490/- की धनराशि का प्राक्कलन Part–I तथा Part–II के Additional document में Upload कर दिया गया है।
3	Area mentioned in the tree enumeration list is incorrect and date of counting of trees is also not mentioned in the tree enumeration list. **Action to be taken-** DFO. May clarify the discrepancany and may submit/upload the correct Tree list in Form A, part-II as additional informition at para 13.	उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि मार्ग के समरेखण में आ रहे वृक्षों की गणना दि0 18.11.2015 को तथा डम्पिंग यार्ड में प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना दि0 04.01.2019 को की गई है। पेड़ों की गणना सूची में संशोधित क्षेत्रफल एवं गणना की तारीख अंकित कर दी गयी है तथा Online Part–I एवं Part–II के Additional document में अपलोड कर दिया गया है।

Scanned by CamScanner

4	This is to be stated that the DFO has upload an estimate for Rs.31,62,000/- which is mentioned as wildlife consertvation plan. But this is an estimate and not the wild life conservation plan. The wild life conservation plan should have been prepared by an expert taking into account the present scenarioa in the area the scenarioa after the construction of road assessment of impact the road on the wild life of the area and the mitigative measures to minimize the impact on the wildlife and the cost of mitigative measures. Therfore it apperers that the so called wild life conservation plan has been prepared without application of mind. **Action to be taken-** DFO. Submit/upload detail of Wildlife consercation plan should have been prepared by an expert taking into account the prseent scenarioa in the area. The scenarioa after the construction of road assessment of impact the road on the wild life of the area and the mitigative measures to minimize the impact on the wildlife and the cost of mitigative measures Tree list in Form A, part-II as additional informition at para 13.	उपरोक्त क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन एवं वन्यजीवों की संरक्षण हेतु वन्यजीव प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत लगभग 31,62,000.00 रू0 की धनराशि आंकलित की गई है, जिसका प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संधारित है। उक्त धनराशि का प्राक्कलन प्रभाग द्वारा स्थलीय निरीक्षण के आधार पर आंकलित कर गठित किया गया है।
5	DFO has not given the deatail of rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area in Para-5.4 of the SIR. Further no comments have been given against Para-5.5 of SIR and the recommendation given is lacking in clarity. **Action to be taken-** DFO. May submit/upload the correct SIR in Form A, part-II.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने SIR के साथ संलग्न रिपोर्ट के पैरा–4 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त स्थल में पाये जाने वाले Rare/endangered/unique species of flora and fauna का विवरण लिखा गया है। Site inspection report को Part–II के Additional document में भी अपलोड कर दिया गया है।
6	DFO has raised 6 issues in his site inspection report uploaded at para 15 of part-II . But DFO should have taken measure to address the issues raised at his level and then forwarded the proposal to the higher authorities in complete manner. Further, none of the higher authorities of the forest depatment/state Govt have given comments on these issues. State govt. may do the needful in this regard. **Action to be taken-** DFO should have adressed CF for regarding raised point and then forward the proposal to Nodal office in compelete manner. CF may give his comments on these issue in his recommendation.	अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपनी Site inspection report में दिये गये 06 बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित की गई है, जो कि पार्ट–I एवं पार्ट–II के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है।
7	उपरोक्त के अतिरिक्त जो विकल्प प्रस्तावित किया गया है उस समरेखण पर मार्ग पूर्व से उपलब्ध प्रतीत होता है अतः उस समरेखण को मुख्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था। साथ में यदि पूर्व में यह मार्ग Voilation मे निर्मित किया गया है तो उस की जानकारी इस कार्यालय मे प्रेषित करें। **Action to be taken-** DFO मार्ग Voilation में निर्मित किया गया है, तो इसकी जानकारी पार्ट–II के Additional information में अपलोड करते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।	वैकल्पिक समरेखण को ग्राम पंचायत की आपत्ति के कारण, भू–वैज्ञानिक एवं तकनीकी, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से एवं अतिव्ययता के कारण निरस्त किया गया है जिसका पूर्ण विवरण प्रस्ताव में तुलनात्मक विवरण में सम्मिलित है, जो कि पार्ट–I के Additional documents में अपलोड कर दिया गया है एवं यह भी अवगत कराना है कि पूर्व में निर्मित यह मार्ग Voilation मे निर्मित नहीं किया गया है।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

Scanned by CamScanner